International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 12 Issue 9 || September 2023 || PP. 280-282

बिहार में भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अविनाश रंजन
शोध छात्र, इतिहास विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा, बिहार

सार

स्थायी बंदोवस्ती को लेकर लॉर्ड कार्नवालिस और जॉन शोर के बीच ठन गई। जॉन शोर की राय थी कि जब जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया तो उन्हें रैयतों से कर वसूलने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। रैयतों से वसूले जाने वाले कर निर्धारण का अधिकार जमींदार को होना चाहिए न कि सरकार को। यह मालिकाना हक का सरासर उल्लंघन है। जॉन शोर के आरोपों का कार्नवालिस ने करारा जबाव दिया। उसने कहा कि जमीन के मालिक होने के नाते जमींदार द्वारा कर निर्धारण तथा अहबाब वसूली के वह पूरी तरह विरूद्ध है। अगर जॉन शोर का कहना मान लिया जाए तो रैयत पूरी तरह जमींदार के दास हो जाएँगे। जमींदारों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अगर रैयत किसी जमींदार का जमीन जोतता है तो दोनों के बीच एक अदृश्य समझौता होता है कि वे अपनी उपज का एक खास हिस्सा ही लगान के रूप में देंगे। अगर जमींदार को टैक्स और अहबाब वसूली की खुली छूट दे दी जाए तो यह दोनों के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन होगा। रैयत जमींदार के जुल्म के विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष अपील नहीं कर पाएँगे।

विस्तार

शेरशाह के राज्यकाल में ही भू–प्रबंधन की शुरूआत हो गई थी। अकबर के शासनकाल में एक ठोस भू–प्रबंधन प्रणाली अस्तित्व में आई। टोडरमल ने जमीन को उसकी प्रकृति के अनुसार चार भागों में बाँटा–पोलाज, परौती, चांचर तथा बंजर। पोलाज के रूप में वैसी भूमि को परिभाषित किया गया, जिस पर प्रत्येक साल खेती हो सकती थी। वैसी भूमि को परौती कहा गया जिस पर एक साल खेती करने के बाद दूसरे वाल परती छोड़ दिया जाता था। चांचर भूमि पर एक साल खेती करने के बाद तीन–चार साल तक उसे परती छोड़ना पड़ता था। अंतिम प्रकार की बंजर भूमि पर चार या पाँच साल के अंतराल पर ही खेती हो सकती थी। टोडरमल ने एक सूबा कई सरकारों में विभक्त किया तथा सरकार को परगना में। परगना को दूसरे शब्दों में 'महाल' भी कहा जाता था। लेकिन दोनों के कार्य–क्षेत्राअलग–अलग थे। परगना प्रशासनिक इकाई थी, जबकि महाल राजस्व इकाई। बिहार को नौ सरकारों में बाँटा गया–बिहार, रोहतास, तिरहुत, मुंगेर, सारन, हाजीपुर, चंपारण, पूर्णिया और राजमहल। औरंगजेब ने रोहतास को दो सरकारों में बाँटा–रोहतास एवं शाहाबाद। दिवान का काम था राजस्व वसूली करना, जबकि सूबेदार का काम था प्रशासनिक कार्यों की देख–रेख करना। अकसर दीवान और सूबेदार की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती थी। जिला स्तर के राजस्व पदाधिकारी को 'अमलगुजार' या 'आमिल' कहा जाता था। अकबर के ही शासनकाल में ग्राम स्तर तक कर्मचारियों का नियोजन कर लिया गया था। राजस्व कर्मचारी को 'मुकद्दम' तथा लेखाकार को 'पटवारी' कहा जाता था। जमीन मापी करनेवाले को 'अमीन' जबकि फसल संबंधी आँकड़ा संग्रह करनेवाले को 'कारकून' कहा जाता था। कानूनगों राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार था और पोतदार सरकारी खजाने का लेखा–जोखा रखता था। सभी जमीनें राज्य के अधीन थीं। कुछ जमीनें ऐसी भी थीं, जिनके धारकों से कोई लगान नहीं लिया जाता था। ये जमीनें लगान–मुक्त थीं। इन्हें 'मददमाश' और 'सयूरगल' कहा जाता था। अकबर ने सबसे पहले रैयतवारी प्रथा लागू की। अब रैयत लगान का भुगतान सीधे राजा को करते थे तथापि कई छोटे–छोटे राजा पुराने तरीके से ही लगान वसूल रहे थे।

बाद के सम्राटों द्वारा इस स्थापित प्रणाली में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसे ज्यों–का–त्यों अपना लिया। शाह आलम 'द्वितीय' अंतिम मुगल सम्राट् था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ग्रहण की। शाह आलम ने अपने शासनकाल में सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। चापलूसी के बल पर राजा सिताब राय ने कंपनी से बिहार की दीवानी हासिल कर ली। सन् 1766 से सन् 1770 तक भू–बंदोबस्ती का सारा कारोबार राजा सिताब राय कर रहा था। सन् 1771में सिताब राय को दीवान पद से हटा दिया गया। सन् 1770 के अकाल के समय राजस्व वसूली में हुए घपले के सिलसिले में कंपनी ने उस पर जाँच कमिटी बैठा दी। अब भू–प्रबंधन का काम राजस्व परिषद् करने लगा। परिषद् ने पांच साला बंदोबस्ती की प्रथा लागू की। अपनी स्वामिभक्ति पर हुए आघात को सिताब राय सह नहीं सके और उन्होंने पटना में अपने आवास पर ही दम तोड़ दिया।

सिताब राय के मरने के बाद कंपनी ने पुनः उसी के बेटे कल्याण सिंह को बिहार का दीवान बनाया। उसकी मदद के लिए उसे दो नायब दिए गए। उनके नाम थे–ख्याली राम और साधु राम। दोनों पटना के बैंकर थे। कंपनी सरकार इन्हीं के मारफत वित्तीय लेन–देन करती थी। सन् 1776–80 तक यह व्यवस्था चली। सन् 1781 में राजस्व परिषद् को भंग कर दिया गया। इस बार महाराज कल्याण सिंह को फार्मर जनरल के पद से नवाजा गया और नायब के रूप में सिर्फ खयाली राम को नियुक्त किया गया। इस बार कल्याण सिंह ने अवसर का लाभ उठाने में कोई चूक नहीं की। उसने बिहार के एक बड़े हिस्से को अपने पास रखकर छोटे भाग को खयाली राम को सौंप दिया। जो भाग खयाली राम के हिस्से में आया, वह शाहाबाद का उत्तर–पूर्वी क्षेत्र था। यह भाग राजा चैत सिंह के आक्रमणों से लस्त–पस्त था।

सन् 1786 में विलियम ब्रुक्स पटना का राजस्व प्रमुख था। ब्रुक्स पंचसाला बंदोबस्त के पक्ष में था, लेकिन उसे कंपनी की ओर से जॉन शोर द्वारा स्थापित एक साला बंदोबस्त लागू करने का आदेश मिला। सालाना बंदोबस्ती के दौरान जमींदारों ने किसानों पर बेतहाशा जुल्म ढ़ाए, क्योंकि जमींदारों को मात्र एक साल के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था, इसलिए जमींदार किसानों से मनमाने ढ़ंग से राजस्व वसूली का काम करते थे। इस राशि से वे कंपनी को लगान देते थे। वसूली गई राशि का एक बड़ा हिस्सा वे अपनी जेब में ही रख लेते थे। जमींदारों की इस हरकत से किसान घर छोड़कर भागने लगे। सन् 1786 में दनवार के राजा संतोखीराय के जुल्म से तंग आकर हजारों किसान घर छोड़कर सासाराम चले गए। अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए राज्य के साथ असहयोग के रूप में किसान यही तरीका अपनाते थे। शिकायत मिलने पर राजस्व प्रमुख विलियम ब्रुक्स ने खुद मामले की जाँच की। विलियम ब्रुक्स ने पाया कि जमींदार पूरी फसल का तीन–चौथाई हिस्सा लगान के रूप में वसूल ले जाते थे, जबकि सरकार के साथ कबूलियात के अनुसार उन्हें सिर्फ 9/16 वाँ हिस्सा वसूलना था। जमींदार कबूलियात में अंकित शर्तो का अक्षरशः पालन नहीं करते थे। जमींदार से सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मालगुजार भी परेशान थे। मालगुजारों को नियत समय पर मालगुजारी भरनी पड़ती थी। परंतु कुछ ऐसे भी दबंग जमींदार थे जो मालगुजारों को समय पर लगान नहीं देते थे। मजबूर होकर मालगुजार जमींदारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल देते थे। शाहाबाद के मालगुजार अहमद अली ने कई जमींदारों को इस एवज में कैद में डाल दिया था। दिनारा के जमींदार चौधरी ध्वल सिंह ने अहमद अली की कचहरी पर धावा बोल दिया। ध्वल सिंह चार सिपाहियों की हत्या कर खजाना लेकर चंपत हो गया। उसने साथ ही कैद में पड़े सारे जमींदारों को भी रिहा कर दिया। ऐसी घटनाएँ राज्य के अन्य भागों में भी घट रही थीं। इधर बाढ़ और अकाल जैसी आपदाओं के कारण राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जॉन शोर को बिहार का राजस्व प्रमुख बनाकर भेजा गया।

जॉन शोर पर बिहार में एक साला बंदोबस्ती को सख्ती से लागू करने की जिम्मेवारी थी। उसने सन् 1786 में दीवान पद को समाप्त कर दिया। दीवान के सारे अधिकार जिला कलक्टरों को सुपुर्द कर दिए गए। सूबे के सभी जिला कलक्टरों को महाल में राजस्व जमा वसूली का पूरा ब्योरा तैयार करने के लिए कहा गया। एक रेग्यूलेशन के अंतर्गत जिला कलक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई जमींदार समय पर लगान का भुगतान नहीं करता है तो वे जमींदारों को भुस्वामित्व से बेदखल कर सकते हैं। परंतु इस आदेश का भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। अंत में सन् 1789 में बिहार में दस बरसा बंदोबस्ती लागू की गई। गवर्नर जनरल ने यह आदेश दिया कि जमींदारों द्वारा भुगतान की जानेवाली राशि का निर्धारण कलक्टरों के द्वारा किया जाएगा। जमींदारों को 'सरद–किश्त बंदी' की सुविधा उपलब्ध कराई गई। रेग्यूलेशन के प्रावधान के अनुसार जमीन के असली मालिक जमींदार होंगे। दस साला बंदोबस्ती के पीछे लॉर्ड कार्नवालिस का उद्देश्य जमींदारों की सहानुभूति प्राप्त करना था। जमींदारों के सहयोग के बिना सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शांति–व्यवस्था बनाए रखना असंभव था। इस व्यवस्था से जमींदारों की आय बढ़ने की उम्मीद थी, जिस वजह से वे कंपनी को समय पर भुगतान कर पाएँगे। इस बढ़ी हुई आय से जमींदार किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे पाएँगे। दरअसल दस साला बंदोबस्ती जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम था। कुछ ऐसी जमीनें भी बच गई जो बंदोबस्ती के दायरे में नहीं आ सकीं। सिर्फ तिरहुत जिले में ही 3900 वर्गमील का क्षेत्र बंदोबस्ती से बाहर रह गया। सन् 1791 तक दस साला बंदोबस्ती का कार्य पूरा हो गया। वर्ष 1793 में इसी बंदोबस्ती को स्थायी 'बंदोबस्ती' में परिणत कर दिया गया। लेकिन राजस्व प्रमुख जॉन शोर दस साला बंदोबस्ती को स्थायी बंदोबस्ती में लागू करने के बिलकुल खिलाफ था। उसका कहना था कि इस व्यवस्था से स्थायित्व उत्पन्न होने के बदले राज्य में अराजकता फैलेगी। जॉन शोर ने 8 दिसंबर, 1789 के मिनट्स में लिखा कि इस हालत में जमींदार बेलगाम हो जाएंगे। कंपनी और जमींदार के रिश्ते गड्डमड्ड हो जाएँगे। जमींदार के पास जमीन होगी लेकिन वे जमीन के मालिक नहीं होंगे, जबकि सरकार के पास कोई जमीन नहीं होगी लेकिन जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होगा। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने स्थायी बंदोबस्ती की यह कहकर आलोचना की कि जमींदार पहले से और भी अमीर हो जाएँगे, जबकि रैयतों की हालत बदतर हो जाएगी। कुल मिलाकर राजा राममोहन राय स्थायी बंदोबस्ती के पक्ष में थे इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि रैयतों से लिये जानेवाले लगान में कमी की जानी चाहिए। उसी अनुपात में जमींदार से ली जाने वाली राशी का निर्धारण होना चाहिए। राजस्व की इस हानि को पूरा करने के लिए सरकार ऐशो–आराम की वस्तुओं पर कर लगाए। इस क्षति को पूरा करने के लिए सरकार एक अन्य तरीका भी अपना सकती है–उच्च वेतनवाले यूरोपियन कलक्टर की जगह सरकार कम वेतन वर भारतीय मूल के कलक्टर बहाल कर सकती है। सरकार को रैयतों जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए रैयतों से वसूले जाने वाले लगान का निर्धारण पहले से तय कर दे।

स्थायी बंदोबस्ती के अनेक दुष्परिणाम सामने आए। इसने घरेलू उद्योग को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया। उद्यमियों के पास उद्योग चलाने तक की पूँजी नहीं बची। बाजार मेनचेस्टर के सामानों से भर गए। उपभोक्ता विदेशी सामानों की ओर तेजी से आकर्षित हुए। स्थायी बंदोबस्ती के कारण भूमिहीनों का बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया। व्यापार का

बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने हथिया लिया। अपने आधुनिक ज्ञान, बड़ी पूँजी तथा कंपनी के साथ अच्छे रिश्ते के कारण अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। व्यापार में स्थानीय निवासियों का हिस्सा सिर्फ एक उजरती मजदूर के रूप में रह गया था।

तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस निजी संपत्ति के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि एक सभ्य समाज के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। निजी संपत्ति समाज को स्थिरता प्रदान करती है तथा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समाज की प्रमुख चालक शक्ति है। अतः उसने जमींदारों को वंशानुगत संपत्ति हस्तांतरण का अधिकार भी दे दिया, बशर्ते उसकी संतान लगान भुगतान में कोई कोताही नहीं करे। लगान के बकाया रहने पर उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। इस बंदोबस्ती का एक परिणाम और सामने आया कि अक्षम और निकम्मे जमींदार भूमि से बेदखल हो गए और बड़े जमींदारों की संपत्ति टुकड़ो में बँटती गई। जमींदारों द्वारा रैयतों से वसूले गए लगान और जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली एक मुश्त राशि में बहुत कम का अंतर था। जिस वजह से जमींदारों के बीच बाकीदारों की संख्या बढ़ती गई। बाकीदारों को बकाया राशि भुगतान के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। इस जमीन को खरीदनेवाले कोई सेठ साहूकार या रैयत नहीं होते थे, बल्कि कंपनी की सेवा में लगे भारतीय मूल के नौकर होते थे। वे शहरों में रहते थे लेकिन उनकी मिल्कियत गाँवों में हुआ करती थी। इस प्रकार राज्य में अनुपस्थित जमींदारों के एक वर्ग का उद्‌भव हुआ। इस वजह से छोटे–छोटे जमींदार कंगाल हो गए। बहुत सारी जागीरें नीलाम चढ़ गई।

स्थायी बंदोवस्ती को लेकर लॉर्ड कार्नवालिस और जॉन शोर के बीच ठन गई। जॉन शोर की राय थी कि जब जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया तो उन्हें रैयतों से कर वसूलने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। रैयतों से वसूले जाने वाले कर निर्धारण का अधिकार जमींदार को होना चाहिए न कि सरकार को। यह मालिकाना हक का सरासर उल्लंघन है। जॉन शोर के आरोपों का कार्नवालिस ने करारा जबाव दिया। उसने कहा कि जमीन के मालिक होने के नाते जमींदार द्वारा कर निर्धारण तथा अहबाब वसूली के वह पूरी तरह विरूद्ध है। अगर जॉन शोर का कहना मान लिया जाए तो रैयत पूरी तरह जमींदार के दास हो जाएँगे। जमींदारों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अगर रैयत किसी जमींदार का जमीन जोतता है तो दोनों के बीच एक अदृश्य समझौता होता है कि वे अपनी उपज का एक खास हिस्सा ही लगान के रूप में देंगे। अगर जमींदार को टैक्स और अहबाब वसूली की खुली छूट दे दी जाए तो यह दोनों के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन होगा। रैयत जमींदार के जुल्म के विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष अपील नहीं कर पाएँगे।

1- **भारत का इतिहास : प्रगति प्रकाशन, मॉस्को**

2. Bihar District Gazetteers : Shahabad : P.C. Roy Chowdhury
3. Bihar District Gazetteers : Gaya: P.C. Roy Chowdhury
4. Bihar District Gazetteers : Purnea : P.C. Roy Chowdhury
5. Bihar District Gazetteers : Saran : P.C. Roychowdhury
6. Bihar District Gazetteers : Champaran: P.C. Roychowdhury
7. Bihar District Gazetteers : Monghyr : P.C. Roychowdhury
8. Bihar District Gazetteers : Muzaffarpur: P.C. Roychowdhury